

कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना (म0प्र0) एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग  
सतना, दि.....

क्रमांक-...../भू अर्जन/18  
प्रति,

नियंत्रक,  
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,  
म0प्र0 भोपाल

विषय:- भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन।

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के ज्ञाप क्र0-एच-1-10/07/सामान्य-2 डी0/82 भोपाल दिनांक 24.10.83 के अनुसार ग्राम डोंडी तहसील मैहर जिला सतना प्रस्तावित भूमियों के अर्जन हेतु भूमि अधिग्रहण पुर्नवास अधिनियम 2013 की 19 धारा की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन हेतु प्रारूप 4 प्रति में संलग्न कर भेजा जा रहा है।

कृपया म0प्र0 राजपत्र भाग 1 में अधिसूचना को प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा अधिसूचना के प्रकाशन की जानकारी इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें।  
संलग्न:- अधिसूचना प्रारूप धारा 19।

  
(मुकेश शुक्ल)  
कलेक्टर

जिला सतना (म0प्र0)  
एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन  
राजस्व विभाग


सतना, दि.....11.11.18

पू0क्रमांक-...2.1.3...../भू अर्जन/2018

प्रतिलिपि:-

1. संचालक (विज्ञापन शाखा) जन सम्पर्क संचालनालय बैन गंगा भोपाल की ओर विज्ञप्ति 4 प्रतियों में संलग्न संप्रेषित कर अनुरोध है कि जिला सतना से प्रकाशित होने वाले दैनिक दो हिन्दी समाचार पत्रों में निरंतर दो दिवस उक्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा इस कार्यालय को सूचित करें।
2. कलेक्टर (एन0आई0सी0) शाखा कृपया जारी की गई अधिसूचना को जिले की बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैहर की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार मैहर की ओर विज्ञप्तियों की प्रतियां भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आम जनता की जानकारी के लिये संबंधित ग्राम के चौपाल/सार्वजनिक स्थान तह0 के नोटिस बोर्ड पर तथा एक प्रति पटवारी को भेजकर संबंधित ग्रामों में डोंडी पिटवाकर पालन प्रतिवेदन भेजें।
5. एक प्रति कार्यालय कलेक्टर सतना के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
6. सहायक संचालक जनसंपर्क, सतना को विज्ञप्ति प्रकाशनार्थ। प्रकाशित समाचार पत्र की कतरन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
7. कार्यपालन अभियंता (परीक्षण) मध्य प्रदेश पावर ट्रां0कं0लि0 सतना की ओर सूचनार्थ। धारा 19 का प्रकाशन कराकर राजपत्र एवं दैनिक समाचार पत्रों की प्रति उपलब्ध करावें।

संलग्न:- अधिसूचना प्रारूप धारा 19

  
कलेक्टर

जिला सतना (म0प्र0)  
एवं पदेन उप सचिव म0प्र0 शासन  
राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला सतना एवं पदेन उपसचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग सतना

क्र. 253 / भू-अर्जन / 2018

सतना, दिनांक

04/05/2018

अधिसूचना

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला -सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर / ग्राम - डोंडी

(घ) क्षेत्रफल- 0.063 हे०

खसरा नं०	अर्जित रकवा
359 / 337 / क	0.063

निजी खाता भूमि योग रकवा 0.063 हे०

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- अतिरिक्त 160 एम०व्ही०ए० ट्रांसफार्मर की स्थापना हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(मुकेश शुक्ल)  
कलेक्टर

जिला सतना (म०प्र०)  
एवं पदेन उपसचिव म०प्र० शासन  
राजस्व विभाग